	राजस्थान राज–पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*
	कार्तिक 21, बुधवार, शाके 1936–नवम्बर 12, 2014 *Kartika 21, Wednesday, Saka 1936-November 12, 2014*	

भाग 4 (क)

राजस्थान विधान मंडल के अधिनियम।

LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT
(GROUP-II)

NOTIFICATION

Jaipur, November 12, 2014

No. F. 2 (26) Vidhi/2/2014.- The following Act of the Rajasthan State Legislature received the assent of the President on the 30th day of October, 2014 and is hereby published for general information:-

THE INDUSTRIAL DISPUTES (RAJASTHAN AMENDMENT) ACT, 2014
(Act No. 21 of 2014)

[Received the assent of the President on the 30th day of October, 2014]

An

Act

further to amend the Industrial Disputes Act, 1947 in its application to the State of Rajasthan.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-fifth Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title, extent and commencement.- (1) This Act may be called the Industrial Disputes (Rajasthan Amendment) Act, 2014.

(2) It shall extend to the whole of the State of Rajasthan.

(3) It shall come into force at once.

2. Amendment of section 2, Central Act No. 14 of 1947.- In the Industrial Disputes Act, 1947 (Central Act No. 14 of

1947), in its application to the State of Rajasthan, hereinafter referred to as the principal Act, in section 2,-

(a) the existing sub-clause (iii) of clause (g) shall be deleted; and

(b) in clause (s), the existing expression "by an employer or by a contractor in relation to the execution of his contract with such employer" shall be deleted.

3. Amendment of section 2A, Central Act No. 14 of 1947.- In section 2A of the principal Act, after the existing sub-section (3), the following new sub-section shall be added, namely:-

"(4) Notwithstanding anything in sub-sections (1), (2) and (3), no such dispute or difference between that workman and his employer connected with, or arising out of, such discharge, dismissal, retrenchment or termination shall be deemed to be an industrial dispute if such dispute is not raised in conciliation proceeding within a period of three years from the date of such discharge, dismissal, retrenchment or termination:

Provided that an authority, as may be specified by the State Government, may consider to extend the said period of three years when the applicant workman satisfies the authority that he had sufficient cause for not raising the dispute within the period of three years.".

4. Amendment of Chapter II-B, Central Act No.14 of 1947.- Chapter II-B of the principal Act, as inserted by the Rajasthan Act No. 34 of 1958, shall be renumbered as

"**CHAPTER IIC**".

5. Amendment of section 9C, Central Act No. 14 of 1947.- Section 9C of the principal Act, as inserted by the Rajasthan Act No. 34 of 1958, shall be renumbered as "**9CC**".

6. Amendment of section 9D, Central Act No. 14 of 1947.- In section 9D of the principal Act, as inserted by the

Rajasthan Act No. 34 of 1958, the existing expression "fifteen per cent" shall be substituted by the expression "thirty per cent".

7. **Amendment of section 25K, Central Act No. 14 of 1947.-** For the existing section 25K of the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

"**25K. Application of Chapter VB.-** (1) The provisions of this Chapter shall apply to an industrial establishment (not being an establishment of a seasonal character or in which work is performed only intermittently) in which not less than three hundred workmen were employed on an average per working day for the preceding twelve months.

(2) Without prejudice to the provisions of sub-section (1), the State Government may, if satisfied that maintenance of industrial peace or prevention of victimization of workmen so requires, by notification in the Official Gazette apply the provisions of this Chapter to an industrial establishment, (not being an establishment of a seasonal character or in which work is performed only intermittently) in which such number of workmen which may be less than three hundred but not less than one hundred, as may be specified in the notification, were employed on an average per working day for the preceding twelve months.

(3) If a question arises whether an industrial establishment is of a seasonal character or whether work is performed therein only intermittently, the decision of the appropriate Government thereon shall be final.".

8. Amendment of section 25N, Central Act No. 14 of 1947.- In section 25N of the principal Act,-

(a) in clause (a) of sub-section (1), the existing expression ", or the workman has been paid in lieu of such notice, wages for the period of the notice" shall be deleted; and

(b) in sub-section (9), after the existing expression "six months" and before the existing punctuation mark ".", appearing at the end, the expression "and an amount

equivalent to his three months average pay" shall be inserted.

9. Amendment of section 25-O, Central Act No. 14 of 1947.- In sub-section (8) of section 25-O of the principal Act, after the existing expression "six months" and before the existing punctuation mark ".", appearing at the end, the expression "and an amount equivalent to his three months average pay" shall be inserted.

10. Amendment of Fifth Schedule, Central Act No. 14 of 1947.- After the existing paragraph 5 of Part II to the Fifth Schedule of the principal Act, the following shall be added, namely:-

"**Explanation.-** For the purpose of this paragraph, 'go slow' means any such activity by any number of persons, employed in any industry, acting in combination or with common understanding, to slow down or to delay the process of production or work purposely whether called by work to rule or by any other name, so as the fixed or average or normal level of production or work or output of workman or workmen of the establishment is not achieved:

Provided that all necessary ingredients or inputs for standard quality production or work are made available in time and in sufficient quantity.".

दीपक माहेश्वरी,

Principal Secretary to the Government.

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप–2)

अधिसूचना

जयपुर, नवम्बर 12, 2014

संख्या प. 2 (26) विधि/2/2014.–राजस्थान राजभाषा अधिनियम, 1956 (1956 का राजस्थान अधिनियम सं. 47) की धारा 4 के परन्तुक के अनुसरण

में ''दी इण्डस्ट्रियल डिस्प्यूट्स (राजस्थान अमेण्डमेन्ट) एक्ट, 2014 (एक्ट नं. 21 ऑफ 2014)'' का हिन्दी अनुवाद सर्वसाधारण की सूचनार्थ एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है:–

(प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद)

औद्योगिक विवाद (राजस्थान संशोधन) अधिनियम, 2014

(2014 का अधिनियम संख्यांक 21)

[राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक 8 अगस्त, 2014 को प्राप्त हुई]

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 को, उसके राजस्थान राज्य में लागू करने के निमित्त और संशोधित करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारंभ.- (1) इस अधिनियम का नाम औद्योगिक विवाद (राजस्थान संशोधन) अधिनियम, 2014 है।

(2) इसका प्रसार संपूर्ण राजस्थान राज्य में होगा।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. 1947 के केन्द्रीय अधिनियम सं. 14 की धारा 2 का संशोधन.- औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 14), जिसे इसमें आगे मूल अधिनियम कहा गया है, के राजस्थान राज्य में लागू करने के निमित्त, उसकी धारा 2 में,-

(क) खण्ड (छ) का विद्यमान उप-खण्ड (iii) हटाया जायेगा; और

(ख) खण्ड (ध) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "ऐसे नियोजक के साथ उसके संविदा के निष्पादन के सम्बन्ध में किसी नियोजक या संविदाकार" हटायी जायेगी।

3. 1947 के केन्द्रीय अधिनियम सं. 14 की धारा 2क का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 2क में, विद्यमान उप-धारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित नयी उप-धारा जोड़ी जायेगी, अर्थात्:-

"(4) उप-धारा (1), (2) और (3) में किसी बात के होने पर भी, किसी कर्मकार और उसके नियोक्ता के बीच ऐसे उन्मोचन, पदच्युति, छंटनी या पर्यवसान से संबंधित या उसके कारण उठने वाला ऐसा विवाद या मतभेद, औद्योगिक विवाद नहीं समझा जायेगा, यदि ऐसा विवाद, ऐसे उन्मोचन, पदच्युति,

छंटनी या पर्यवसान की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के भीतर-भीतर सुलह कार्यवाही में नहीं उठाया गया हो:

परन्तु कोई प्राधिकारी, जैसाकि राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये, उक्त तीन वर्ष की कालावधि को बढ़ाने के लिए तब विचार कर सकेगा, जबकि आवेदक कर्मकार उस प्राधिकारी का यह समाधान कर दे कि उसके पास उस विवाद को तीन वर्ष की कालावधि के भीतर-भीतर नहीं उठाने का पर्याप्त कारण था।"।

4. 1947 के केन्द्रीय अधिनियम सं. 14 के अध्याय II-ख का संशोधन.- मूल अधिनियम का अध्याय II-ख, जैसाकि 1958 के राजस्थान अधिनियम सं. 34 के द्वारा अन्त:स्थापित किया गया था, "**अध्याय II-ग**" के रूप में पुन:संख्यांकित किया जायेगा।

5. 1947 के केन्द्रीय अधिनियम सं. 14 की धारा 9-ग का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 9ग, जैसाकि 1958 के राजस्थान अधिनियम सं. 34 के द्वारा अन्त:स्थापित की गयी थी, "**9-गग**" के रूप में पुन:संख्यांकित की जायेगी।

6. 1947 के केन्द्रीय अधिनियम सं. 14 की धारा 9-घ का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 9-घ, जैसाकि 1958 के राजस्थान अधिनियम सं. 34 के द्वारा अन्त:स्थापित की गयी थी, में विद्यमान अभिव्यक्ति "पन्द्रह प्रतिशत" के स्थान पर अभिव्यक्ति "तीस प्रतिशत" प्रतिस्थापित की जायेगी।

7. 1947 के केन्द्रीय अधिनियम सं. 14 की धारा 25ट का संशोधन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 25ट के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"**25ट. अध्याय 5ख का लागू होना.-** (1) इस अध्याय के उपबंध ऐसे औद्योगिक स्थापन को, (जो मौसमी प्रकार का स्थापन नहीं है या जिसमें काम केवल आन्तरायिक रूप से होता है) लागू होंगे जिसमें पूर्ववर्ती बारह मास में प्रति कार्य-दिवस को औसतन कम से कम तीन सौ कर्मकार नियोजित थे।

(2) उप-धारा (1) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राज्य सरकार, यदि उसका समाधान हो जाये कि औद्योगिक शान्ति को बनाये रखने या कर्मकारों पर अत्याचार

होने को रोकने के लिए ऐसा अपेक्षित है, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अध्याय के उपबन्ध ऐसे औद्योगिक स्थापन को, (जो मौसमी प्रकार का स्थापन नहीं है या जिसमें काम केवल आन्तरायिक रूप से होता है) लागू कर सकेगी जिसमें पूर्ववर्ती बारह मास में प्रति कार्य दिवस को औसतन ऐसी संख्या में कर्मकार नियोजित थे जो तीन सौ से कम हों परन्तु एक सौ से कम न हों, जो कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाये।

(3) यदि यह प्रश्न उठे कि कोई औद्योगिक स्थापन मौसमी प्रकार का है या नहीं अथवा उसमें काम केवल आन्तरायिक रूप से होता है या नहीं तो उस पर समुचित सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा।"।

8. 1947 के केन्द्रीय अधिनियम सं. 14 की धारा 25ढ का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 25ढ में,-

(क) उप-धारा (1) के खण्ड (क) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "या ऐसी सूचना के बदले में कर्मकार को सूचना की कालावधि के लिए मजदूरी का संदाय कर दिया गया हो" हटायी जायेगी; और

(ख) उप-धारा (9) में विद्यमान अभिव्यक्ति "के औसत वेतन" के पश्चात् और अभिव्यक्ति "के बराबर होगा" के पूर्व अभिव्यक्ति "और उसके तीन मास के औसत वेतन की रकम" अन्त:स्थापित की जायेगी।

9. 1947 के केन्द्रीय अधिनियम सं. 14 की धारा 25-ण का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 25-ण की उप-धारा (8) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "के औसत वेतन" के पश्चात् और अभिव्यक्ति "के बराबर है" के पूर्व अभिव्यक्ति "और उसके तीन मास के औसत वेतन की रकम" अन्त:स्थापित की जायेगी।

10. 1947 के केन्द्रीय अधिनियम सं. 14 की पांचवीं अनुसूची का संशोधन.- मूल अधिनियम की पांचवीं अनुसूची के भाग II के विद्यमान पैरा 5 के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जायेगा, अर्थात्:-

"**स्पष्टीकरण.-** इस पैरा के प्रयोजन के लिए, 'धीमी गति' से किसी उद्योग में नियोजित, सहयोगी रूप से या सामान्य मति से

कार्यरत कितने भी व्यक्तियों का उद्देश्यपूर्वक किया गया ऐसा कोई क्रियाकलाप अभिप्रेत है जिसके द्वारा उत्पादन या कार्य की प्रक्रिया को धीमा करना या देरी करना है, चाहे नियम के अनुसार कार्य करने या अन्य किसी नाम से जाना जाये, जिससे कि संस्थापन के कर्मकार या कर्मकारों के उत्पादन या कार्य या निर्गम का नियत या औसत या सामान्य स्तर प्राप्त नहीं किया जाता:

परन्तु यह कि मानक गुणवत्ता उत्पादन या कार्य के लिए समस्त आवश्यक घटक या आगम, समय पर और पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करवाये गये हों।"।

दीपक माहेश्वरी,
प्रमुख शासन सचिव।

8

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।